कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1050 /FP/UK/ROAD/29590/2017 :देहरादूनःदिनांकः 22 जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में हैरिटेज पर्यटन सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत कोटली गन्धक में पार्किंग के निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/88/2017/एफ0सी0/402 दिनांक 29.05.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, (संलग्न–1) जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 151 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा 151 वृक्षों का दस वर्षो तक रखरखाव की धनराशि वृक्षों हेतु रू0 1,66,100.00 चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। (बचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 99,404.00 चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। कुल 151 वृक्षों एव एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,65,504.00 चालान की प्रति संलग्न। (बचन बद्धता संलग्न)
3.	निर्माण कार्यो के पूर्व होने के पश्चात जहां–जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है। (बचन बद्धता संलग्न)
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर से अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग को उक्त शर्त मान्य है। (बचन बद्धता संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाई बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के द्वारा सभी निधियां ऑनलाईन जनरेट कर दी गयी है। चालान की प्रति सत्यापित कर प्रेषित की जा रही है। (बचन बद्धता संलग्न)

6.	State Govt. will submit hard copy of Part I to V and administrational approval, in original.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 06 के अनुपालन में Part-I की प्रति संलग्न की जा रही है।
7.	State govt. will submit NOC from CWLW as it falls within 10 km of ESZ of protected area.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि NOC सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है।
8.	State govt. will submit hard copy of muck management plan and upload the same on web portal.	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 08 के अनुपालन में मलवा निस्तारण की बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 3056 / FP/UK/ROAD/29590/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 5341/12–1 (2) दिनांक 02.06.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

9/C

Rohit PD Backup